



सहकारिता विभाग

एक सब के लिए, सब एक के लिए

बिहार राज्य फसल सहायता योजना



रैयत किसान

रबी 2020-21 में ऑनलाईन आवेदन/निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए)।
2. आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर (OTP के लिए)।
3. आधार सम्बद्ध बैंक खाता का विवरण।
4. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2020 के पश्चात् निर्गत)।
5. स्व-घोषणा-पत्र -
(चयनित फसल एवं बुआई का रकबा का सही और पूर्ण विवरण)।
6. आवेदक का फोटो।

रबी 2020-21

रबी फसलें 2020-21



फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएँ

ऑनलाईन निबंधन की सुविधा।

सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए।

सभी प्रमुख रबी फसलें सम्मिलित

निःशुल्क निबंधन एवं पंजीकरण प्रक्रिया

7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)

10000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर)

नोट-

1. रैयत, गैर-रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण/आवेदन की सुविधा।
2. एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
3. लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान।
4. सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर।
5. नगर पंचायत एवं नगर परिषद के किसान भी निबंधन करा सकते हैं।



गैर-रैयत किसान

रबी 2020-21 में ऑनलाईन आवेदन/निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए)।
2. आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर (OTP के लिए)।
3. आधार सम्बद्ध बैंक खाता का विवरण।
4. स्व-घोषणा-पत्र (वाई सदस्य/कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित)।
5. आवेदक का फोटो।
6. एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य

बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2020-21 का ऑनलाईन निबंधन / आवेदन प्रारंभ है।

सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल <https://cooperative.bih.nic.in> पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदक निबंधन करा सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नं.- 18003456290 / 06122200693 पर सम्पर्क करें।

क्र.सं०	फसल का नाम	निबंधन कराने की अंतिम तिथि
1.	गेहूँ	26.02.2021
2.	मक्का	26.02.2021
3.	चना	31.01.2021
4.	मसूर	15.02.2021
5.	अरहर	28.03.2021
6.	राई-सरसों	31.12.2020
7.	ईख	28.02.2021
8.	प्याज	15.02.2021
9.	आलू	31.01.2021

PR-9732 (Co-Operative) D. 2020-21



फसल सहायता योजना हेतु पंजीकरण



आपदा



फसल कटनी प्रयोग



फसल सहायता राशि भुगतान